प्रपत्र VI

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू–अर्जन निदेशालय)

या

समाहर्ता/अपर समाहर्ता–सह–समुचित सरकार

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम–30/2013 की धारा– 11 (1) के अधीन)

अधिसूचना संख्या 07 मु० दिनांक 16-04-2018

चूंकि बिहार सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम –जादोपुर थाना– बैकुण्ठपुर थाना सं0– 319 अचंल– बैकुण्ठपुर जिला–गोपालगंज में कुल 0.20 एकड़ यानि 0.0809 हे0 भूमि सावर्जनिक प्रयोजन, यथा, परियोजना गंडक नदी पर बंगराघाट पर उच्चस्तरीय अर0सी0सी पुल एवं पहुॅच पथ के निमाण के कार्य हेतु अपेक्षित है, इसलिए राज्य एस0आई0ए0 ईकाई द्वारा सामाजिक प्रभाव मल्याकंन अध्ययन कराया गया और एक प्रतिवदेन सापैं गया। सामाजिक प्रभाव मल्याकंन प्रतिवेदन का सार–संक्षपे यथा–निम्न हैः – समाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन का निषकर्ष है कि पथ परियोजना के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण "लोकहित" की पूर्ती करता है और अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित जमीन परियोजना के जरूरतो के लिहाज से नितांत न्यूनतम है। भू–अर्जन के कारण लगभग 00 (शून्य) परिवारों के विस्थापित होने की संभावना है। इस बाध्यकारी विस्थापन का कारण नीचे दिया गया है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए है। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम– जादोपुर थाना बैकुण्ठपुर थाना नं0 319 अंचल –बैकुण्ठपुर जिला– गोपालगंज में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 0.20 एकड़ यानि 0.0809 हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है।

क्रम सं0	खाता सं0	सर्वे भूखंड संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (डी0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भू–खण्ड सं0)
01	02	03	04	05	06	07	08
01	55	646	केवाला	भीठ	0.20	अरूण सिंह वगैरह पिता छबीला सिंह निवासी जादोपुर	उ0– सिवान प्यारेपुर द0– सिवान चकिया पु0– सिवान खैराआशा प0–हिकायत राय

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पूनर्वासन और पूनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा/11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती हैं।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी गोपालगंज के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। बिहार सरकार/समाहर्ता–सह–समूचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समूचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, व भूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी गोपालगंज और उनके कर्मचारी को प्राधिकृत करती हैं।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60 दिनों) के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियों हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी गोपालगंज के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

11/04/18

समाहर्त्ता,

गोपालगंज।

ज्ञापांक........................../ दिनांक............................./

प्रतिलिपि :– 1. प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, गोपालगंज को अधिसूचना की प्रति संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि इसे जिला गजट में प्रकाशित कराने का कष्ट किया जाय तथा प्रकाशित संस्करण की पॉच प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय।

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी,
गोपालगंज।

ज्ञापांक 1030 / दिनांक 16.4.18 /

प्रतिलिपि :– 2. जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी (डी0आई0ओ0) गोपालगंज को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि संलग्न अधिसूचना को समाहर्त्ता, गोपालगंज (समुचित सरकार) के वेवसाईट पर अपलोड करने का कष्ट किया जाये।

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी,
गोपालगंज।

(2)